कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, सामान्य कुंडम

क्रमांक / कुण्डम, दिनांक –13 / 10 / 2018

प्रति,

वनमण्डल अधिकारी
(सा0) वनमण्डल जबलपुर

द्वारा :– उप वनमण्डल अधिकारी, (सामान्य) उपवनमण्डल सिहोरा।
विषय :– वन परिक्षेत्र कुण्डम के अंतर्गत हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित वन भूमि 54.87 हेक्ट. के बदले प्रदाय की गई राजस्व भूमि के संबंध में।
संदर्भ :– आपका पत्र क्रमॉक / डी.एम. / 80 दिनॉक 03 / 01 / 2018

–––000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित वन भूमि वन कक्ष पी.एफ. 280 रकवा 1.90 हेक्ट., पी.एफ. 282 रकवा 17.09 हेक्ट. व पी.एफ. 283 रकवा 35.88 हेक्ट. कुल 54.87 हेक्ट. वन भूमि उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत प्रभावित हो रही है।

आपके संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशानुसार उपरोक्त वर्णित प्रभावित वन भूमि के बदले जो भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को उपलब्ध कराई जाना है में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाना है। तत्संबंध में निवेदन है कि वन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही भूमि बदले कुण्डम तहसील के अंतर्गत ग्राम तौरी के प.ह.नं.00008 खसरा नं. 01 रकवा 79.54 हेक्ट बडे झाड के जंगल मद की राजस्व भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई थी। मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण एवं गूगल मेप पर मिलान करने पर निम्नानुसार कमिया पाई गई है जो निम्नानुसार हैः–

1 उपरोक्त वर्णित खसरा वन Hiran Water Resources Deportment द्वारा दिये गये नक्शों का मिलान करने पर, राजस्व विभाग की विभागिय साईट **mp-abhilekh.nic.in पर जिला जबलपुर,तहसील कुण्डम राजस्व निरीक्षक इमलई पटवारी हल्का** के ग्राम तौरी के प.ह.नं.00008 खसरा नं. 01 रकवा 79.54 हेक्ट0 के नक्शे में भिन्नता है।

2 राजस्व विभाग की विभागिय साईट **mp-abhilekh.nic.in पर जिला जबलपुर,तहसील कुण्डम राजस्व निरीक्षक इमलई पटवारी हल्का** के ग्राम तौरी के प.ह.नं.00008 खसरा नं. 01रकवा 79.54 हेक्ट0 के बीच–बीच (2से 32 तक व452 सक 459 तक)में अन्य खसरे दिखाई देते है। जिसे देख कर यह प्रतित होता है की उक्त खसरे निजी भू स्वामियों के है।

3 इसके अलावा मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण एवं गूगल मेप पर उक्त खसरे को देखने पर प्रथम दृश्यतया अतिक्रमण दिखाई देता है।जिसका गूगल मेप पर पॉलीगान करने पर 25 हैक्टे0 लगभग है। अतः इस खसरे का सम्पूर्ण सीमकन राजस्व विभाग द्वारा किये जाने के उपरांत ही, वैकल्पिक वृक्षारोपण

हेतु लिया जाना नियम संयत होगा। अतः उक्त खसरे का सम्पूर्ण सीमकन राजस्व विभाग द्वारा किये जाने हेतु जल साधन विभाग को लेख करने का कष्ट करें।

संलग्न :–

1. गूगल मेप पर **इमलई पटवारी हल्का** के ग्राम तौरी के प.ह.नं.00008 खसरा नं. 01 रकवा 79.54 हेक्ट0 का पालीगान मेप जिसमें अतिक्रमण पीले रंग से दर्शाया गया है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य